



Natural Citation No. -2026:AHC:63678

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 9878 वर्ष 2026

अजीत सिंह

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : मनोज यादव

प्रत्यर्थी(यों) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज यादव, राज्य-प्रत्यर्थियों के विद्वान ए.जी.ए. श्री जे.पी. सिंह को सुना और अभिलेखों का परिशीलन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत आवेदक अजीत सिंह की ओर से दाखिल किया गया है, जिसमें उसे मुकदमा अपराध संख्या 567/2025 यूपी गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 2/3 के तहत थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन में पंजीकृत है, में परीक्षण के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक उन सभी सात मामलों में जमानत पर है जो उसके विरुद्ध गैंग चार्ट में दिखाए गए हैं, उपरोक्त के अलावा, उसके विरुद्ध कोई अन्य मामला नहीं है। आवेदक, जो दिनांक 17.2.2026 से जेल में बंद है, ने वचन दिया है कि यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है तो वह इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में भारी संख्या मामलों की में लंबितता के मद्देनजर, परीक्षण के शीघ्र समापन की कोई संभावना नहीं है।
4. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है।
5. गैंग चार्ट में आवेदक के विरुद्ध दर्ज किए गए सभी सात मामलों में उसे जमानत मिल चुकी है, उपरोक्त मामलों के अलावा, उसके विरुद्ध कोई अन्य मामला दर्ज नहीं है। आवेदक 17.2.2026 से जेल में बंद है।
6. अभिलेख से परिलक्षित तथ्यों, प्रकृति और साक्ष्यों की समग्रता पर विचार करने और अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे लगता है कि यह जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला है। इसलिए, वर्तमान जमानत आवेदन की अनुमति दी जाती है।
7. उपरोक्त अपराध में संलिप्त आवेदक-अजीत सिंह को 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत अनुबंध और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार जमानत पर रिहा किया जाए: -
 - (1) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।



(2) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(3) आवेदक, व्यक्तिगत रूप से, विचारण न्यायालय के समक्ष (i) मामले को शुरू करने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बीएनएसएस की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर उपस्थित रहेगा।

(4) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र प्रस्तुत करेगा कि जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी भी स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(5) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना, विचारण न्यायालय साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

मार्च 24, 2026

कुमार मनीष